

न्यायालय सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी गंगापुर  
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-26/2021 (2021/81)  
अन्तर्गत धारा :-53 आर.टी.एक्ट

दर्ज दिनांक 24.02.2021

शीर्षक

1. केसरसिंह आत्मज रूपसिंह चुण्डावत निवासी नांदशा के० तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. नरेन्द्रसिंह आत्मज शंभुसिंह चौहान निवासी भुणास हाल निवास गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. विभुराजसिंह आत्मज प्रेमसिंह चौहान निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादीगण

बनाम

1. गोपाललाल आत्मज नानुराम ब्राह्मण
2. नर्बदा पत्नि बालुराम ब्राह्मण
3. बद्रीलाल आत्मज हरलाल ब्राह्मण
4. बदामदेवी पत्नि नानुराम ब्राह्मण
5. राजमल आत्मज बालुराम ब्राह्मण
6. सुरेशचन्द्र आत्मज नानुराम ब्राह्मण  
सर्व निवासी कारोई, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाड़ा मु०गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

—प्रतिवादीगण

उपस्थिति:- अधिवक्ता वादीगण:- श्री सुनिल कुमार जैन  
पेरोकार सरकार

:: कार्यवाही अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. ::

:: निर्णय ::

दिनांक 18.06.2021

संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद नियमित सुनवाई दिनांक 26.03.2021 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर कि ग्राम भुणास पटवार हल्का भुणास तहसील सहाड़ाके बेरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत 6 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की सम्बत् 2075 से 2078 खाता संख्या 302 में अंकित आराजी संख्या 2921 रकबा 5.36 हे०, 2937 रकबा 1.54 हे०, 2938 रकबा 0.70 हे० कुल कित्ता 03 कुल रकबा 7.60 हे० भूमि स्थित का विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सहाड़ा से तलब किया गया। तहसीलदार सहाड़ा ने अपने पत्रांक/पी०डी०/2021/308 दिनांक 17.06.2021 को प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

ग्राम भुणास पटवार हल्का भुणास तहसील सहाड़ाके बेरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत 6 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की सम्बत् 2075 से 2078 खाता संख्या 302 में अंकित आराजी संख्या 2921 रकबा 5.36 हे०, 2937 रकबा 1.54 हे०, 2938 रकबा 0.70 हे० कुल कित्ता 03 कुल रकबा 7.60 हे० भूमि का विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसे अधिवक्ता वादीयागण द्वारा स्वीकार है।

1.

अतः वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
1	केसरसिंह पि० रूपसिंह 1/3 चुण्डावत सा० देह नांदशा के नरेन्द्रसिंह पि० शंभूसिंह चौहार 1/3 सा० भूणास विभूराज सिंह पि० प्रेमसिंह चौहान 1/3 सा० गंगापुर खातेदार	भूणास (खाता संख्या 302)	2921/2	1.74
			2938/2	0.16
		योग	2	1.9000
2	गोपाल पि० नानूराम 1/9 नर्बदा बाई पत्नि बालूराम 1/6 सुरेशचन्द्र पि० नानूराम 1/9 राजमल पि० बालूराम 1/6 बदामदेवी पत्नि नानूराम 1/9 बद्रीलाल पि० हरलाल 1/3 ब्राह्मण स्व० कारोई	भूणास (खाता संख्या 302)	2921/1	3.62
			2938/1	0.54
			2937	1.54
		योग	3	5.7000

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

(विकास पंचोली)

सहायक कलक्टर पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 18.06.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
गंगापुर जिला भीलवाड़ा 2.

मूल वाद में डिक्री  
न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - श्री विकास पंचोली (RAS)

प्रकरण संख्या :-26/2021 (2021/81)

दर्ज दिनांक 24.02.2021

अन्तर्गत धारा :-53 आर.टी.एक्ट

### शीर्षक

1. केसरसिंह आत्मज रूपसिंह चुण्डावत निवासी नांदशा के0 तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. नरेन्द्रसिंह आत्मज शंभूसिंह चौहान निवासी भुणास हाल निवास गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. विभुराजसिंह आत्मज प्रेमसिंह चौहान निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।  
वादीगण

### बनाम

1. गोपाललाल आत्मज नानुराम ब्राह्मण
2. नर्बदा पत्नि बालुराम ब्राह्मण
3. बद्रीलाल आत्मज हरलाल ब्राह्मण
4. बदामदेवी पत्नि नानुराम ब्राह्मण
5. राजमल आत्मज बालुराम ब्राह्मण
6. सुरेशचन्द्र आत्मज नानुराम ब्राह्मण  
सर्व निवासी कारोई, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाड़ा मु0गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

—प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 18.06.2021

डिक्री दिनांक : 18.06.2021


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय गंगापुर बहाजरी अधिवक्ता वादीगण श्री सुनिल कुमार जैन एवं पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	केसरसिंह पि0 रूपसिंह 1/3 चुण्डावत सा0 देह नांदशा के नरेन्द्रसिंह पि0 शंभूसिंह चौहार 1/3 सा0 भूणास विभुराज सिंह पि0 प्रेमसिंह चौहान 1/3 सा0 गंगापुर खातेदार	भूणास (खाता संख्या 302)	2921/2 2938/2	1.74 0.16
		योग	2	1.9000
2	गोपाल पि0 नानुराम 1/9 नर्बदा बाई पत्नि बालुराम 1/6 सुरेशचन्द्र पि0 नानुराम 1/9 राजमल पि0 बालुराम 1/6 बदामदेवी पत्नि नानुराम 1/9 बद्रीलाल पि0 हरलाल 1/3 ब्राह्मण स्व0 कारोई	भूणास (खाता संख्या 302)	2921/1 2938/1 2937	3.62 0.54 1.54
		योग	3	5.7000


नीज ..... Nil ..... मुबलिग ..... Nil ..... बाबत् ..... Nil ..... खर्चा  
इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil ..... फीस दी सालाना आज की तारीख से  
तारीख वसूलयावी तक ..... Nil ..... का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.06.2021 को जारी किया गया।



(विकास पंचोली)  
सहायक कलक्टर पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महनताना वकील ( )	—		महनताना वकील ( )	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीशनर	—		फीस कमीशनर	—	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—		बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
मुनफरिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		



सहायक कलक्टर पदेन  
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर  
2.